

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर केम्प गंगापुरसिटी  
पीठासीन अधिकारी—श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 41/16

तारीख रजू— 16/02/2016

मुकेश पुत्र श्यामलाल जाति मीना निवासी ग्राम उदईखुर्द तहसील वजीरपुर।  
बनाम

—अपीलार्थी

सरकार जरिये तहसीलदार, वजीरपुर।

—रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक—01/06/2016

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 392/15 में पारित आदेश दिनांक 03/09/2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम उदईखुर्द की आराजी खसरा नम्बर 1599 रकवा 0.15 हैक्टर किस्म गै0मु0चरागाह व 1600 रकवा 0.63 हैक्टर किस्म गै0मु0चरागाह पर संवत् 2072 खरीफ में अनाधिकृत रूप से कुण्डा बनाकर व जोत लगाकर, कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थात् दण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने व अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय परोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत में रखा गया।

अपीलार्थी मुकेश स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को सुना तो उसने अवगत कराया कि अपीलार्थी ने ग्राम उदईखुर्द की आराजी खसरा नम्बर 1599 रकवा 0.15 हैक्टर किस्म गै0मु0चरागाह व 1600 रकवा 0.63 हैक्टर किस्म गै0मु0चरागाह पर से अपना कब्जा हटा लिया है। मोकें पर कोई कब्जा नहीं है तथा इस बाबत जाँच करवाने हेतु निवेदन किया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने भविष्य में अतिक्रमित आराजी पर अतिक्रमण नहीं करने की सहमति भी जताई है तथा अतिक्रमित आराजी से कब्जा हटाने व भविष्य में अतिक्रमित आराजी पर कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी की सजा निरस्त करने से पूर्व मोकें की जाँच करवायी जावे। यदि अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजी पर कब्जा नहीं हो तो ही सिविल कारावास की सजा निरस्त फरमायी जावे अन्यथा यथावत रखी जावे।

अपीलार्थी व परोकार सरकार को सुनने के पश्चात अतिक्रमित आराजी पर कब्जे संबंधी रिपोर्ट तहसीलदार, वजीरपुर से तलब की गई जिसने अपनी रिपोर्ट में ख0न0 1599 में कुण्डा बना होने व ख0न0 1600 वर्तमान में खाली होना बताया है। इस प्रकार तहसीलदार वजीरपुर की मोकें रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी का अतिक्रमित आराजी पर कोई अतिचार होना नहीं बताया है। अतः राजस्व लोक अदालत की भावना से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली व शास्ति का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा अपीलाधीन निर्णय में अपीलार्थी के विरुद्ध पारित सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01/06/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर  
केम्प गंगापुरसिटी